भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति: लखनऊ जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Attitudes Towards Women Rape Victims in Indian Society: A Sociological Study of Lucknow District

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ से
समाजशास्त्र विषय में पी–एच०डी० की
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-संक्षिप्तिका

शोध निर्देशक

डॉ0 जया श्रीवास्तव

उपाचार्य
समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी

नेहा कुमारी

नामांकन सं०–1217 / 15

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ०प्र०)

2020

शोध संक्षिप्तिका

भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है। आज 21वीं सदी में भारत आधुनिक कहे जाने वाले समाज की लगभग सारी विशेषताएं अपने अन्दर समाहित करता है परन्तु इन सब के बावजूद आज भी तत्कालीन भारतीय समाज में बलात्कार एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की स्वीकृति अत्यधिक देखने को मिलती है। कहीं कहीं यह नकारात्मक अभिवृत्ति एवं मौनता अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। कुछ गिने चुने लोगों एवं संस्थाओं द्वारा ही इस पर कार्य एवं चर्चा की जाती है, परन्तु सामान्य जीवन में बलात्कार के सम्बन्ध में अधिकतर लोग मूक ही प्रतीत होते हैं। बलात्कार को सभी अपराधों में सर्वाधिक अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। बलात्कार के अपराध में सर्वाधिक हानि महिला बलात्कार पीड़िता को उठानी पड़ती है। यह हानि न केवल शारीरिक, मानसिक होती है बल्कि यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन करने वाली, पीड़िता की दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनने वाली होती है। अन्य अपराधों की अपेक्षा बलात्कार ही एक मात्र ऐसा अपराध है, जिसमें अपराधी के बजाए बलात्कार पीड़िता को दंडित किया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के अलावा पीड़िता को सर्वाधिक सामाजिक रूप से मानहानि उठानी पड़ती है।

बलात्कार व्यक्ति एवं समाज के विरुद्ध यौन हिंसा का एक हथियार है। बलात्कार पीड़िता को इस अति कष्टकारी घटना से उबारने के लिए समाज का सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु इसके बावजूद समाज की सकारात्मक अभिवृत्ति भी पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वृहद् स्तर के साहित्यिक मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति लगभग सभी समाजों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि इस नकारात्मक अभिवृत्ति में पीड़िता के परिवार के सदस्य, जीवनसाथी, मित्र एवं पड़ोसी भी शामिल होते हैं। बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों की भी पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति इस कारण भी होती है क्योंकि बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्य स्वयं को बलात्कार के दूसरे पीड़ित के रूप में महसूस करते हैं

एवं इसका जिम्मेदार वे पीड़िता को समझते हैं। बलात्कार पीड़िता के साथ–साथ पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण परिवार के सदस्य पीड़िता पर अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के चलते पीड़िता की दशा और भी खराब हो जाती है।

बलात्कार के संबंध में कानून एवं समाज में जो कथन व्याप्त हैं उनमें अत्यधिक न्याय, अधिकार एवं समानता प्रदान की गयी है। एन० सी० आर० बी० (2015) के रिपोर्ट के अनुसार 10 बलात्कार में से मात्र 4 मामलों में ही बलात्कार की घटना की रिपोर्ट करायी जाती है, अधिकतर बलात्कार मामलों में पुलिस एवं बलात्कारी द्वारा समाज के नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण पीड़िता द्वारा मामले को वापस ले लिया जाता है। बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार हेतु उस पर दोषारोपण किये जाने के कारण पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बलात्कार पीड़िता अत्यधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़िता को जिन मानसिक आघातों एवं दोषारोपण करने वाले प्रश्नों से गुजरना पड़ता है उसे बलात्कार की पुनरावृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

बलात्कार मात्र एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। बलात्कार के लिए जिम्मेदार कारकों में सामजिक–सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं एवं इस अपराध का विस्तार वृहद् स्तर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ यह अपराध लगभग सभी कालखंडों एवं समाजों में विद्यमान रहा है। परन्तु इस समस्या पर बात करना अथवा अध्ययन करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि बलात्कार यौन क्रिया से जुड़ा अपराध है और यह अत्यधिक निजी एवं व्यक्तिगत भी होता है। लगभग सभी समाजों में यौन प्रक्रिया के संबंध में पहले से ही अनेक निषेध, मिथक एवं चुप्पी व्याप्त रहती है, साथ ही महिलाओं की यौनाचरण, यौन शुद्धता, प्रदूषण, शर्म, कलंक, सम्मान एवं शुभ अशुभ जैसे विचारों से घिरी रहती है। यही कारण है कि बलात्कार से संबंधित समस्याओं पर आम जन खुल

कर चर्चा करने से बचते हैं और यही व्यवहार बलात्कार की समस्या को गंभीर रूप से बढ़ा देती है। अतः बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान समय में अन्य सामाजिक समस्याओं के अध्ययन हेतु अनेक शाखाओं को स्थापित किया जा चुका है, इसके बावजूद भी समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों में बलात्कार को समझने अथवा इसके कारणों की व्याख्या हेतु किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत, दृष्टिकोण अथवा अवधारणाओं को विकसित नहीं किया गया है और साथ ही साहित्यों एवं साहित्य अध्ययनों का अभाव है। नारीवादी परिप्रेक्ष्यों के उद्भव, महिला आंदोलनों, लिंग जागरूकता एवं मीडिया के कारण बलात्कार से संबंधित मुद्दों पर पहले की अपेक्षा ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा है, इसके बावजूद वहीं बलात्कार के संबंध में समाज एवं साहित्य मौन दिखायी पड़ता है।

समय के साथ साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि तीव्र होती जा रही है। (राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो) के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में प्रतिदिन 93 महिलायें बलात्कार की शिकार हो जाती थी और वर्ष 2018 में यह आकड़ा बढ़ कर 106 तक पहुंच गया है। जबकि इन वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था, बलात्कार अधिनियमों में पहले की तुलना में काफी सुधार लाया गया है, बलात्कार के मामलों को न्यायालयों में फास्ट ट्रेक के माध्यम से देखा जा रहा है एवं बलात्कार की जांच हेतु नए तकनीकों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इन सब उपायों के बावजूद भी बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु न्यायिक मामलों में दोषियों को सजा पाने का प्रतिशत अत्यधिक कम है।

समाज में तो बलात्कार के संबंध में अत्यधिक निषेध एवं चुप्पी दिखती है परन्तु यही चुप्पी और कमी साहित्यों में भी देखने को मिलती है। खास कर समाजशास्त्र में इस समस्या पर अत्यधिक कम प्रकाश डाला गया है, जबकि बलात्कार प्रतिमानों एवं मूल्यों के टूटने के कारण भी घटित होता है। इसलिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि समाजशास्त्र इस संबंध में क्या दृष्टिकोण रखता है

एवं बलात्कार और बलात्कार के लिए उत्तरदायी कारकों को समाजशास्त्री किस परिप्रेक्ष्य से देखते एवं इसकी व्याख्या करते है।

बलात्कार की समस्या को सामान्य बोध की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक प्रकार का असामान्य यौन व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया अपराध प्रतीत होता है। जिसमें लिंग असमानता, लिंग भेद, जैसे दृष्टिकोण शामिल होते हैं। परन्तु समाजशास्त्री इस प्रकार के मुद्दों की व्याख्या करने के दौरान अत्यधिक वस्तुनिष्ठ दृ ष्टिकोण को अपनाते हैं एवं बिना पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बिना सामाजिक समस्यों एवं समस्या से संबंधित कारणों की सटीक व्याख्या करते। जबकि नारीवादियों का मानना है कि बलात्कार एक विपथन नहीं बल्कि एक सामान्य घटना है जो लगभग हर प्रकार के समाजों में सामान्य रूप से विद्यमान रहा है। नारीवादियों का यह मानना है कि समाजशास्त्र समस्या की व्याख्या महिला एवं पुरुष से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण से करता है। परन्तु समाजशास्त्र में इस समस्या पर प्रकाश नहीं डाला गया है जबकि बलात्कार एक व्यक्तिगत समस्या होने के साथ ही साथ सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि बलात्कार से न केवल पीड़िता प्रभावित होती है बल्कि परिवार एवं समाज भी प्रभावित होता है। व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ सम्पूर्ण परिवार की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत जैसे परम्परागत समाजों में बलात्कार एवं बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता अपने चरम पर रहती है। जिस कारण बलात्कार पीड़िता को स्वंय को पुनः सामाज में पुर्नस्थापित करने में अत्यधिक समस्यायों का सामना करना पड़ता है। भारत में बलात्कार पीड़िता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्ति उनके पुनर्स्थापन की संभावना को अत्यधिक कम कर देती है। एवं बलात्कार मिथकों की अत्यधिक स्वीकार्यता के कारण पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित रहती है, जिसके कारण बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की भी संभावना समाप्त हो जाती है। बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बलात्कार अपराधियों को समर्थन प्रदान करती है एवं बलात्कार संस्कृति को पोषित करती है। इस नकारात्मक अभिवृत्ति एवं बलात्कार के सन्दर्भ में जो चुप्पी है, इसको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि बलात्कार, बलात्कार मिथकों, एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति पर अध्ययन एवं लेखनों

का कार्य वृहद् स्तर पर किया जाए, ताकि बलात्कार के सन्दर्भ में व्याप्त निषेध, नकारात्मक अभिवृत्ति, एवं बलात्कार मिथकों को कम किया जा सके और इस सन्दर्भ में अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। बलात्कार के नवीन अध्ययनों के माध्यम से बलात्कार की वास्तविक प्रकृति एवं इससे संबंधित अन्य समस्यायों को समझा जा सकता है। खास कर जो बलात्कार पीड़िता को सामना करना पड़ता है, न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, साथ ही सामाजिक नकारात्मक अभिवृत्तियों को किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसके अलावा नए शोधों के माध्यम से इस बात की भी पड़ताल की जा सकती है कि बलात्कार के लिए जिम्मेदार वास्तविक कारक कौन से हैं और क्यों अधिकतर बलात्कार पीड़िता एवं पीड़िता के परिवार वाले बलात्कार की घटना की रिपोर्ट कराने से बचते हैं।

बलात्कार संबंधी अध्ययनों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्या इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक जो अध्ययन हुए हैं, उन पर नारीवादी दृष्टिकोण का ही प्रभाव अधिक है, जो बलात्कार की घटना का सम्पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। नारीवादी लेखन एवं अध्ययन लिंग असमानता, लिंग आधारित समाजीकरण एवं स्त्री पुरुष के शक्ति संबंधो पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बलात्कार के अन्य आयामों को उजागर किया जा सकता है जिसमें बलात्कार के लिए उत्तरदायी संरचनात्मक, संगठनात्मक, संस्थात्मक कारकों को भी उजागर किया जा सकता है। साथ ही बलात्कार पीड़िता के प्रति समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण के लिए कौन से सामाजिक सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारक जिम्मेदार होते हैं, इन का निर्माण एवं संचालन किस प्रकार होता है एवं इनमें सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किये गए अध्ययनों के माध्यम से मिल सकता है। अतः इस अध्ययन की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रस्तुत शोध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित आंकड़ों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे भारत में बलात्कार से संबंधित स्थिति से भली भाँति अवगत हो सके एवं प्रस्तुत शोध की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सके।

बलात्कार अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि बलात्कार के संबंध में समाज में अत्यधिक चुप्पी, निषेध एवं भ्रांतियां व्याप्त है। इस अध्ययन के संबंध में यह बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि इस सन्दर्भ में साहित्य की भारी कमी देखने को मिलती है और यदि यही अध्ययन भारत जैसे पारम्परिक समाज में किया जा रहा हो तो यह कमी अपने चरम पर देखने को मिलती है। बलात्कार के संबंध में व्याप्त इस, निषेध चुप्पी एवं भ्रांतियों के कारण इस विषय पर आम जन की राय एवं अभिवृत्तियों का मापन करना अत्यधिक कठिन कार्य रहा है। खासकर बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार करना सर्वाधिक दुरूह कार्य रहा है। सामाज की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं समाज में व्याप्त बलात्कार मिथकों के कारण पीड़िता एवं उसके परिवार के सदस्य अत्यधिक अपमान, मानहानि एवं कलंकित हो जाने की भावना से ग्रसित रहते हैं, इस कारण आसानी से वे साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण कुछ ही लोगों का साक्षात्कार किया जा सका है। इसके अलावा सामाज के लोगों की अभिवृत्ति के मापन के दौरान भी काफी लोगों द्वारा शर्म एवं असहजता महसूस करने के कारण साक्षात्कार अनुसूची भरने को तैयार नहीं हो रहे थे। अतः इस अध्ययन को करने के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रम, भ्रान्ति एवं अल्पज्ञता को दूर रखने के लिए इन सीमाओं के प्रकाश में ही इस अध्ययन को पूर्ण किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन अनेक अवधारणाओं, आयामों एवं परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। इस परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति को नकारात्मक बनाने में कौन से कारक जिम्मेदार होते ? किस प्रकार की संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति अथवा संस्था नकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देती है? इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आयामों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। जैसे कि

बलात्कार को समाज द्वारा किस प्रकार समझा जाता है और समाज किस प्रकार बलात्कार को व्याख्यायित करता है, इस प्रशन का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास किया गया है। साथ ही बलात्कार मिथक एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार अपनी निरन्तरता को बनाए रखती है, बलात्कार एवं बलत्कार पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में व्याप्त रहती है उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार होता है, इसकी गहन पड़ताल करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि बलात्कार की घटना घटित हो जाने के बाद पूरी नकारात्मक अभिवृत्ति, दोषारोपण, जिम्मेदारी एवं दुष्प्रभाव पीड़िता को ही क्यों उठानी पड़ती है? इन सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय दृ ष्टिकोण से ढूँढने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध में प्रारम्भ में बलात्कार पीड़िता के प्रति भारतीय समाज की अभिवृत्ति से संबंधित प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अंतर्गत अध्ययन के तर्काधार, अध्ययन की आवश्यकता, अध्ययन विषय क्षेत्र, अध्ययन की रूपरेखा एवं अध्ययन की शोध प्रविधि का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध में भी अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते समय शोध विषय (भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति लखनऊ जनपद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) की प्रकृति एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। प्रस्तुत शोध में सामुदायिक स्तर पर नगरीय निवासियों का बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के मापन हेतु 400 उत्तरदाताओं के चयन हेतु (गोमतीनगर, जानकीपुरम, अमीनाबाद एवं आलमबाग) क्षेत्रों का चुनाव लखनऊ जनपद के चार क्षेत्रों का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। इन चार क्षेत्रों को चुनने के दौरान शोध विषय के उद्देश्य जो कि (बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति का मापन करना) को ध्यान में रख कर मात्र नागरीय क्षेत्रों को ही सम्मिलित किया गया है, किसी भी गांव या कस्बे को सम्मिलित नहीं किया गया है। सामुदायिक स्तर पर 400 उत्तरदाताओं का चयन सुविधाजनक नमूना का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत

शोध में 400 उत्तरदाताओं में महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या को तुलनात्मक रूप से समान रखा गया है ताकि बलात्कार पीड़िता के प्रति महिलाओं एवं पुरुषों की अभिवृत्ति का मापन समान रूप से किया जा सके।

<u>क्षेत्रीयवार उत्तरदाताओं की चयनित संख्या संबंधी सारणी</u>

क्रम संख्या	शोध अध्ययन क्षेत्र	महिला उत्तरदाताओं की संख्या	पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
1	गोमतीनगर	50	50	100
2	जानकीपुरम	50	50	100
3	अमीनाबाद	50	50	100
4	आलमबाग	50	50	100
कुल योग	—	200	200	400

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार की है, प्रस्तुत शोध में आंकड़ों का संकलन त्रिस्तरीय आधार पर किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है

(1) वैयक्तिक स्तर पर (Individual Level) इस स्तर के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर आकड़ें एवं सूचनायें संकलित करने का प्रयास किया गया है। प्रथम चरण में वैयक्तिक स्तर पर, बलात्कार पीड़ित महिला से साक्षात्कार किया गया है, चूँकि भारतीय समाज में बलात्कार एक कलंक और मानहानि के रूप में लिया जाता है, जिस कारण बलात्कार पीड़िता से संपर्क करना अत्यंत कठिन कार्य रहा है। प्रथम स्तर पर पीड़िता से संपर्क हेतु स्नोबॉल सेम्पलिंग (Snowball sampling) विधि के माध्यम से किया गया है। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन हेतु (Case Study) विधि का प्रयोग किया गया है। वैयक्तिक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र की अधिकतम पीड़िताओं व पीड़िताओं के परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। व्यक्तिक स्तर पर बलात्कार पीड़िता से साक्षत्कार अनुसूची के माध्यम से पीड़िता का स्वंय के प्रति अभिवृत्ति एवं समाज का

पीड़िता के प्रति अभिवृति का मापन किया गया है। जिसके लिए 40 प्रश्नों की अनुसूची तैयार की गई है जिसके अंतर्गत बलात्कार के बाद बलात्कार पीड़िता को होने वाली शारीरिक मानसिक समस्याओं संबंधी प्रश्न पूछा गया है। बलात्कार के बाद परिवार का पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति संबंधी प्रश्नों को सम्मलित किया गया है। साथ ही पीड़िता को स्वंय को समाज में पुनर्स्थापित करने में किस प्रकार की समस्याओं का समाना करना पड़ा संबंधी प्रश्नों को भी सम्मलित किया गया है ताकि बलात्कार पीड़िता के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को समझा जा सके।

(2) परिवार के स्तर पर (Family Level) इस स्तर के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार कर सूचनायें संकलित किया गया है। जिसके लिए 17 प्रश्नों की अनुसूची तैयार की गई है और इसके लिए भी स्नोबॉल सेम्पलिंग विधि का प्रयोग किया गया है।

(3) समुदाय के स्तर पर (Community Level) इस स्तर पर नगरीय समाज के सदस्यों की पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली अभिवृत्ति का मापन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत शोध में बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन करने हेतु 40 प्रश्नों की एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई एवं इन प्रश्नों के माध्यम से बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया है। इन 40 प्रश्नों में पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के सभी आयामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जैसे बलात्कार पीड़िता पर दोषारोपण करने की अभिवृत्ति, बलात्कार के संबंध में बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता, बलात्कार पीड़िता को स्वीकार करने एवं बलात्कार के संबंध में सामान्य जागरुकता से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।

समुदाय के उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति के मापन हेतु लखनऊ जिले को उद्देश्यपूर्ण ढंग से चार जोनों में विभाजित कर जो क्रमशः (ज़ोन–1 गोमतीनगर) (ज़ोन–2 जानकीपुरम) (ज़ोन–3 अमीनाबाद) (ज़ोन–4 आलामबाग) है प्रत्येक क्षेत्र (ज़ोन) से दैवनिदर्शन के माध्यम से 100–100 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है। चूँकि महिलाओं एवं पुरुषों का बलात्कार पीड़िता के प्रति व्यवहार एवं अभिवृति में भिन्नता होती है, इस कारण प्रतिदर्श में लिंगवार चुनाव किया गया है। इस प्रकार

400 उत्तरदाताओं में 200 पुरुष एवं 200 महिला उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तीनों स्तरों से उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके संपादित किया गया है, इसी से यह ज्ञात हो जाएगा की शोध कार्य से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाओं को संकलित कर लिया गया है। समस्त संकलित एवं सम्पादित सूचनाओं का वर्गीकरण करके इन्हें सारणियों में सूचीबद्ध करने के साथ साथ श्रेणीबद्ध किया गया है। सामुदायिक स्तर पर 400 उत्तरदाताओं की बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को SPSS (Statistical Package for Social Sciences) के माध्यम से सारणियों में सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध करते हुए इसमें सारणियों को सामान्य और विशेष रूप से प्रस्तुत द्वितीयक किया गया है। ताकि आंकड़ों के विवरण के साथ ही साथ नगरीय लोगों की अभिवृत्ति का लिंग, आयु, शिक्षा, धर्म, जाति, आर्थिक स्थितियों के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

साहित्य समीक्षा में बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति से संबंधित साहित्यों का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया है। प्राप्त साहित्यों को दो भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया गया है, जो कि पश्चिमी केन्द्रित एवं भारतीय केन्द्रित है। प्रस्तुत शोध में नारीवादी दृष्टिकोण से लिखे गए साहित्यों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखित साहित्यों, एवं अन्य दृष्टिकोणों से लिखे गए साहित्यों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से शोध संबंधी ज्ञान की विलम्बनाओं की पहचान की गयी है। और शोध से संबंधित साहित्य की कमी की पहचान कर कर इसका विश्लेषण किया गया है। साहित्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 80 के दशक में यौन हिंसा एवं बलात्कार संबंधी अपराधों के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया। बलात्कार संबंधी गहन अध्ययनों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला पश्चिमी नारीवादी दृ ष्टिकोण में तो देखने को मिलती है परन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में बलात्कार के संबंध में गहन अध्ययनों की भारी कमी रही है। भारत में बलात्कार एक निषेध के रूप में पकड़ बनाए हुए है। भारत में बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी जो अध्ययन हुए हैं, वे अत्यधिक सीमित क्षेत्र तथा सूक्ष्म स्तर पर हुए हैं जैसे स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में किये गए हैं, जिसके कारण अभिवृत्तियों का सही मापन नही हो पाया है और न ही सटीक परिणाम प्राप्त हो पायें हैं। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के

प्रति अभिवृत्ति का मापन एवं उसका परीक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सभी वास्तविक क्षेत्र में अर्थात् समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों का मापन किया जाना चाहिए न कि केवल किसी संस्था के भीतर रहकर किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध में बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति संबंधी सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की रूपरेखा के अर्न्तगत बलात्कार एवं बलात्कार अभिवृत्ति से संबंधित परिभाषाओं, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा की गयी है एवं शोध में प्रयुक्त सिद्धांन्तों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत शोध को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। बलात्कार प्रत्येक युग और हर समाज में पाई जाने वाली घटना है, यद्यपि बलात्कार एक सार्वभौमिक घटना है परन्तु इसकी परिभाषा व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि बलात्कार की अवधारणा स्थान, समय, परिस्तिथियों और आदर्शों से सम्बंधित होने के कारण इसकी विवेचनाओं और व्याख्याओं में एकरूपता देखने को नहीं मिलती, उदाहरण स्वरूप बलात्कार संबंधी प्राचीन परिभाषाओं और व्याख्याओं पर दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बलात्कार को स्त्रियों के विरुद्ध किया गया अपराध न मान कर उसके संरक्षक, पिता, पति की सम्पत्ति के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता था। जबकि वर्तमान में बलात्कार की यह परिभाषा मान्य नही है। इसी प्रकार बलात्कार संबंधी अनेक सिद्धान्तों में बलात्कार की परिघटना की व्याख्या और विश्लेषण में भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों को केंद्र में रखा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में प्रयुक्त हुई अवधारणाओं सिद्धान्तों एवं बलात्कार अभिवृत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं पर चर्चा की गई है।

शोधकर्ता द्वारा बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तिः कारण,प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण किया गया है। जिसके के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा बलात्कार के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही साथ बलात्कार के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों को भी गहनता से समझने का प्रयास किया गया है। बलात्कार के सामाजिक सांस्कृतिक कारको का विश्लेषण करने के बाद बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक मानसिक प्रभावों का विश्लेषण एवं बलात्कार पीड़िताओं के वैयक्तिक अध्ययनों को सम्मलित किया गया है। अध्याय के

अंत में समाज में बलात्कार के प्रति धारणाओं,अभिवृत्ति या सामाजिक कलंक (social stigma) एवं बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के मध्य अंतःसंबंधों का विश्लेषण किया गया है।

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तिः कारण,प्रभाव एवं पुनर्वास का विश्लेषण करने के उपरान्त बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव एवं निष्कर्ष में भारत सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िता को प्रदान की जाने वाली सुविधा एवं योजनाओं के संबंध में चर्चा की गयी है। एवं गैर सरकारी संस्थाओं की गुणवत्ता एवं प्रदान की जाने वाली सुविधा की भी जांच की गयी है। एवं इस अध्याय के अंतर्गत 400 उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति के मापन के उपरांत प्राप्त परिणामों की व्याख्या की गयी है। इसके साथ साथ बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने एवं पीड़िता के पुनर्वास हेतु बेहतर विकल्पों पर चर्चा की गयी है। साथ ही बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक द्रिष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु उपयोगी सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध में भारतीय समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति लखनऊ जनपद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित कुछ शोध उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया एवं इनके परीक्षण हेतु 400 उत्तरदाताओं का बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन कर के परिकल्पनाओं का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। शोध के अंत में सामुदायिक स्तर पर 400 उत्तरदाताओं के अभिवृत्ति मापन, बलात्कार पीड़िता से वैयक्तिक स्तर पर एवं पारिवारिक स्तर पर अभिवृत्ति के मापन से प्राप्त निष्कर्षों का सारांश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामजिक – सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण करना।

2. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृतियों एवं उनके पुनर्वास के अवसर के मध्य अंतःसंबंधों का विश्लेषण करना।
4. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृतियों का मापन एंव वश्लेषण करना।
5. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणों में बदलाव लाने हेतु नीति में उपयोगी सुझाव देना।

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना निम्नलिखित है : –

1. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों के पीछे सामजिक – सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं।
2. बलात्कार पीड़ित महिलाओं पर उनके प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की नकारात्मक अभिवृतियों एवं बलात्कार के कारण बलात्कार पीड़िता पर गंभीर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ता है।
3. समाज में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृतियां बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में बाधक होते हैं।
4. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नगरीय समाज के सदस्यों की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है।
5. बलात्कार पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव हेतु नवीन योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण की आवश्यक हैं।

प्रस्तुत शोध में बलात्कार पीड़िता के प्रति नगरीय समाज की अभिवृत्ति का मापन करने हेतु 40 प्रश्नों की एक साक्षत्कार अनुसूची तैयार की गयी एवं इन प्रश्नों के माध्यम से बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन किया गया है। इन 40

प्रश्नों में पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति के सभी आयामों को सम्मलित करने का प्रयास किया गया है जैसे बलात्कार पीड़िता पर दोषरोपण करने की अभिवृत्ति,बलात्कार के संबंध में बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता,बलात्कार पीड़िता को स्वीकार करने एवं बलात्कार के संबंध में सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्नों को सम्मलित किया गया है। अतः यहाँ प्राप्त निष्कर्षों को अभिवृत्ति की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके व्याख्या की गई है।

- ➢ बलात्कार को एक गंभीर अपराध मानने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के लोगों से प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार एक गंभीर अपराध है? इसके प्रत्युत्तर में 98.75 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार एक गंभीर अपराध है।
- ➢ बलात्कार पीड़िता का विवाह पूर्व यौन संबंध होने पर यदि महिला का बलात्कार हो जाए तो क्या उसे घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए ? के सन्दर्भ में 77.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि पीड़िता को घटना की रिपोर्ट करानी चाहिए जबकि 19.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि विवाह पूर्व यौन संबंध होने पर पीड़िता को रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की यौन शुचित के संबंध में नगरीय समाज बलात्कार मिथकों की स्वीकार्यता रखता है।
- ➢ बलात्कार मिथक के संबंध में प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार मात्र निम्न तबकों तक ही सीमित होता है । 400 उत्तरदाताओ में 273 उत्तरदाता जो कि 73.50 प्रतिशत हैं, का मानना यह है कि बलात्कार मात्र निम्न वर्गों अथवा निम्न तबकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग एवं तबके में इसकी पैठ है जबकि इसके विपरीत 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं जो कि अपेक्षाकृत तो कम हैं फिर भी एक बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि बलात्कार मात्र निम्न तबकों अथवा वर्गों तक ही सीमित है। इससे यह प्रतीत होता है की नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में भी बलात्कार मिथक स्वीकृति है।
- ➢ यदि कोई महिला रोजमर्रा की जिंदगी में अपने प्रति किसी भी प्रकार के यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती है, तो क्या महिला के साथ बलात्कार होने की

संभावना बढ़ जाती है ? इस संबंध में नगरीय समाज के 66.75 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि यदि महिलायें अपने प्रति हुए छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं तो उनका भविष्य में बलात्कृत होने की संभावना कम हो जाती है। इस आंकड़ें से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय समाज के सदस्यों में बलात्कार मिथक संबंधी स्वीकृति कम है। इसके विपरीत 25.75 प्रतिशत उत्तरदाता का यह मानना है कि यदि महिलायें रोजमर्रा के जीवन में यौन छेड़ छाड़ का विरोध करती हैं तो भविष्य में उनके बलात्कृत किये जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

- बलात्कार दोषी को सजा देने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के सदस्यों से प्रश्न पूछा गया कि बलात्कार दोषी को किस प्रकार की सजा देनी चाहिए ? प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि 70.0 प्रतिशत बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उचित ठहराते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाज के लोगों द्वारा बलात्कार को एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है। इसके अलावा 15.0 प्रतिशत यह मानते हैं कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड न देकर कठोर सश्रम कारावास देना चाहिए। 5.25 प्रतिशत उत्तरदाता अंग भंग को दंड प्रावधान के रूप में रखने की बात करते हैं जो बलात्कार एवं बलात्कार पीड़िता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

- बलात्कार की घटनाएं महिलाओं को समाज में उनको, उनकी सही जगह (औकात) में रखने के लिए एक उपकरण अथवा यंत्र की तरह कार्य करता है? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 79.25 प्रतिशत उत्तरदाता बलात्कार को एक नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं मानते हैं, तो यह आधुनिक एवं सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। एवं 14.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार एक नियंत्रण करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो क्या दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि बलात्कार पीड़िता अविवाहित है तो दोषी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए परन्तु 19.25 प्रतिशत उत्तरदाता इससे सहमति नहीं रखते

एवं 14.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि दंड का विवाहिता अथवा अविवाहिता से बलात्कार का कोई संबंध नहीं है, दोनों को ही बराबर शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचता है। प्राप्त आंकड़े से यह पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि विवाहिता की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं के बलात्कार से ज्यादा हानि पहुंचती है। इस सन्दर्भ में महिलाओं की यौन शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाता है, यौन शुचिता समाप्त होने पर समाज में महिलाओं को कम वांछनीय समझा जाता है।

- अच्छी लड़कियों की तुलना में बुरी लड़कियों का बलात्कार होने की संम्भावना अधिक होती है के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 59.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार का लड़की के अच्छे अथवा बुरे चरित्र से कोई लेना देना नहीं होता है। परन्तु 31.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि किसी महिला का चाल चलन सही नही है तो उसके साथ बलात्कार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। परन्तु 31.25 प्रतिशत भी एक बड़ा प्रतिशत है। अतः नगरीय समाज की अभिवृत्ति को पूर्णतः सकारात्मक नही कहा जा सकता है।

- बलात्कार के लिए पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 84.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार के लिए मात्र महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं होती हैं। 8.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मात्र महिलाएं ही बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा काफी कम है, अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलात्कार हेतु मात्र बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने के संबंध में नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

- क्या बलात्कार के न्यायिक मामलों की प्रक्रिया में बलात्कार पीड़िता के पुराने चाल चलन अथवा चरित्र को जिम्मेदार मानना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 85.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि बलात्कार मामलों की न्यायिक सुनवायी के दौरान पीड़िता के पूर्व चाल चलन का संज्ञान नहीं लेना

चाहिए। 10.5 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि पीड़िता के पूर्व चाल चलन को ध्यान में रख कर मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा काफी कम है, अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 400 उत्तरदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत पीड़िता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है।

- क्या बलात्कार के लिए बलात्कारी एवं बलात्कार पीड़िता दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं? के सन्दर्भ में नगरीय समाज में बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी दोनों को समान रूप से बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराने में पुरुषों का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत है, जबकि मात्र 7.0 प्रतिशत महिलाएं ही बलात्कार पीड़िता एवं बलात्कारी को बराबर का जिम्मेदार मानती हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराने की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है।

- बलात्कार पीड़ित महिला समाज द्वारा विवाह हेतु कम वांछनीय (लेस डिसायरेबल) होती है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 55.50 प्रतिशत पुरुषों का यह मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला विवाह हेतु कम वांछनीय होती है। महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षाकृत कम है जो कि 49.50 प्रतिशत है। हालाँकि यह अंतर कम है परन्तु इस अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों द्वारा बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय माना जाता है।

- बलात्कार पीड़िता को दोषी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 27.50 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि बलात्कार पीड़िता का विवाह उसके बलात्कारी से करवा देना चाहिए। जबकि 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता का विवाह उसके बलात्कारी से करवा देना चाहिए। महिलाओं की अभिवृत्ति एवं पुरुषों की अभिवृत्ति में 13.50 प्रतिशत का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति अधिक नकारात्मक है।

- किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 16.00 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि किसी कार्यरत महिला के बलात्कार हो जाने पर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जबकि महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा 8.50 प्रतिशत ही है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बलात्कार पीड़िता के विस्थापना को अधिक समर्थन दिया जाता है जो कि पीड़िता के प्रति कम समर्थन को प्रदर्शित करता है।

- क्या बलात्कार पीड़िता अपने प्रति हुए बलात्कार के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है? पीड़िता पर दोषारोपण की अभिवृत्ति के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 89.00 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि पीड़िता बलात्कार के लिए जिम्मेदार नही होती है। जबकि 94.80 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि पीड़िता बलात्कार के लिए जिम्मेदार नही होती है जो कि सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर इंगित करता है। परन्तु लिंगवार पीड़िता पर दोषारोपण करने में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 4.00 प्रतिशत है जबकि पीड़िता को बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराने में पुरुषों का प्रतिशत 9.50 प्रतिशत है, जो कि महिलाओं के प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत अधिक है। अतः इससे ज्ञात होता है कि पुरुषों के दोषारोपण करने की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 67.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता को शारीरिक आघात के साथ साथ मानसिक आघात भी पहुंचता है, जिसमें पुरुषों का 71.50 प्रतिशत है। महिलाओं का 63.50 प्रतिशत है। अतः प्राप्त परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

- बलात्कार मिथक स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के पुरुष उत्तरदाताओं में 32.50 प्रतिशत का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है, जबकि मात्र 10.50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं

का मानना है कि नशे में धुत महिला यौन संबंध के लिए तैयार रहती है। महिला और पुरुषों में बलात्कार स्वीकार्यता में 20 प्रतिशत का अंतर है। पुरुष उत्तरदाता में बलात्कार मिथक स्वीकार्यता का प्रतिशत अधिक है। अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक है।

- बलात्कार मिथक स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि क्या बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 86.50 प्रतिशत का मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला को शर्म अथवा आत्मग्लानि नही महसूस करना चाहिए जो कि सकारात्मक है। परन्तु लिंगवार परिणाम में लिंग एवं अभिवृत्ति में सहसंबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 17.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए। इसके विपरीत मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को शर्म अथवा आत्मग्लानि महसूस करना चाहिए। इस सन्दर्भ में पुरुष उत्तरदाता महिलाओं की अपेक्षा पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को बलात्कारी द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए ? के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। 84 प्रतिशत महिला एवं 70.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता का विवाह बलात्कारी से नहीं करना चाहिए। पीड़िता का बलात्कारी से विवाह कराने के सन्दर्भ में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों ही उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है। परन्तु महिलाओं की सकारात्मक अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा 14 प्रतिशत अधिक है।

- क्या बलात्कार पीड़िता को पति अथवा प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 84.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़ित महिला को पति अथवा प्रेमी चुनने का अधिकार होना चाहिए जो सकारात्मक अभिवृत्ति है। परन्तु लिंगवार अभिवृत्ति में अंतर देखा जा सकता है। 79.50 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं एवं 90.00 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता को प्रेमी अथवा पति चुनने का अधिकार

होना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अभिवृत्ति नकारात्मक है। इसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, लिंग आधारित समाजीकरण एवं यौन शुचिता पर अत्यधिक बल देने के कारण महिलाएं यौन शुचिता पर अधिक ध्यान देती हैं।

- क्या अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं ? के सन्दर्भ में नगरीय समाज के 73.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे नही होते हैं। और 11.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। नगरीय समाज के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक प्राप्त हुई है। परन्तु लिंगात्मक आधार पर महिलाओं की अपेक्षा 17.50 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते है एवं मात्र 5 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अधिकतर बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। अतः महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक प्राप्त हुई है।

- यदि किसी अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए ? के सन्दर्भ में 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो दोषी को अधिक दण्ड मिलना चाहिए और 19.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना है कि दोनों मामलों में समान दण्ड मिलना चाहिए। 59 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं एवं 55 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने माना कि अविवाहित महिला का बलात्कार होने पर अधिक दंड मिलना चाहिए। इस अभिवृत्ति के पीछे यह सामाजिक मूल्य कार्य करता है कि कौमार्य भंग होने पर बलात्कार पीड़िता की वांछनीयता कम हो जाती है एवं विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं की मान सम्मान की हानि अधिक होती है।

- क्या महिलाओं का पहनावा जैसे (अधिक अंग प्रदर्शित करने वाले कपड़े, तंग ब्लाउज, छोटे कपड़े) बलात्कार को आमंत्रित करते है ? के संबंध में अभिवृत्ति का मापन किया गया है। जिसमें 34.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रित करते हैं। और 59.25 प्रतिशत

उत्तरदाताओं का माना है कि पहनावा बलात्कार को आमंत्रित नहीं करते हैं। 49.50 प्रतिशत पुरुष यह मानते हैं कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। इसके विपरीत मात्र 18.50 प्रतिशत महिलाएं ही यह मानती हैं कि महिलाओं का पहनावा बलात्कार को आमंत्रण देते हैं। पुरुषों में बलात्कार मिथक की स्वीकार्यता महिलाओं की अपेक्षा अधिक है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ इंगित करता है।

- क्या बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए ? के सन्दर्भ में 79.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार पीड़िता के परिवार को बलात्कार के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। 19.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शर्मिंदा होना चाहिए। बलात्कार पीड़िता के परिवार को शर्म अथवा अपमान महसूस करने के सन्दर्भ में पुरुषों की अभिवृत्ति 30.00 प्रतिशत है एवं महिलाओं का 8.50 प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं की अभिवृत्ति इस सन्दर्भ में पुरुषों की अपेक्षा सकारात्मक है।

- क्या एक महिला का बलात्कार उसके पति द्वारा किया जा सकता है? के सन्दर्भ में 41.50 प्रतिशत पुरुष का मानना है कि पति अपनी पत्नी का बलात्कार नहीं कर सकता है एवं 59.00 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जा सकता है। इस बलात्कार मिथक के संबंध में विवाह संबंधी संस्कार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विवाह में माना जाता है कि विवाह में यौन संबंध हेतु सहमति सम्मिलित होती ही है इसलिए जीवनसाथी द्वारा किये गए बलात्कार को बलात्कार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

- एक महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है ? के सन्दर्भ में 42.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला अगर रात को अकेले बाहर जाती है तो वह स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है और 48.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं कहा। 52.50 प्रतिशत पुरुषों का मानना है यदि महिलाएं देर रात को बाहर निकलती हैं तो उनके साथ बलात्कार होने की संभावनाए बढ़ जाती है। जबकि 32.50

प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि देर रात बाहर निकलने के कारण स्वयं को बलात्कार होने की स्थिति में डालती है परन्तु महिलाओं की अभिवृत्ति पुरुषों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।

बलात्कार पीड़िता के प्रति 400 नगरीय समाज के लोगों की अभिवृत्ति को अलग अलग आयामों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मिश्रित सारणी के अंतर्गत उत्तरदाताओं की आयुवार, शैक्षिक स्थितिवार, उत्तरदाता की आर्थिक स्थितिवार परिस्थिति एवं उत्तरदाता के जीविकोपार्जन के आधार पर पीड़िता के प्रति उनके अभिवृत्ति में किस प्रकार का अंतर होता है, को जानने का प्रयास किया गया है। मिश्रित सारणी से प्राप्त निष्कर्ष –

पीड़िता पर दोषारोपण अभिवृत्ति के मापन में प्राप्त निष्कर्ष

- बलात्कार पीड़िता का पूर्व यौन संबंध होने एवं घटना की रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग के 47.30 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 75.70 प्रतिशत, 31–35 आयुवर्ग के 74.80 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग की 72.00 प्रतिशत एवं 40 से अधिक आयु वाले वर्ग में 48.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि जिन महिलाओं का पहले से ही यौन संबंध हो उन्हें बलात्कार की घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए।
- बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध होने पर अशिक्षित वर्ग के 62.50 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 45.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 70.16 प्रतिशत, स्नातक 70.63 प्रतिशत, परास्नातक 63.90 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 43.75 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से यौन संबंध हो तो उन्हें रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। सभी शैक्षिक स्तर पर उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।
- बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध होने पर रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में बेरोजगार उत्तरदाताओं का प्रतिशत 63.16 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी 70.00 प्रतिशत, गैर सरकारी 75.20 प्रतिशत, व्यावसायिक 76.32 प्रतिशत, विद्यार्थी 54.90 प्रतिशत, गृहणी 53.40 एवं अन्य जीविकोपार्जन में से

71.0 0 प्रतिशत ने माना कि यदि बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध हो तो उसे घटना की रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए। सभी जीविकोपार्जन क्षेत्र से जुड़े लोगों की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता का पहले से ही यौन संबंध होने पर रिपोर्ट कराने के सन्दर्भ में अति उच्च वर्ग में 50.00 प्रतिशत, उच्च वर्ग 56.86 प्रतिशत, मध्यम वर्ग 66.92 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग का 74.10 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने माना कि पीड़िता को पूर्व यौन संबंध होने पर रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए सभी वर्गों में नकारात्मक अभिवृत्ति है।

बलात्कार पीड़िता के कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में प्राप्त निष्कर्षः

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग के 54.05 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 52.30 प्रतिशत, 31–35 आयुवर्ग के 49.50 प्रतिशत ने नकारात्मक प्रतिक्रया की, 36–40 आयु वर्ग के 50.70 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से अधिक उत्तरदाताओं में 61.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है, जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में अशिक्षित वर्ग के 37.50 प्रतिशत, हैं। प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 70.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक 47.60 प्रतिशत, स्नातक 54.38 प्रतिशत, परास्नातक 50.00 प्रतिशत एवं अन्य शैक्षिक डिग्री धारको में 68.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बलात्कार पीड़िता बलात्कार के बाद विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। तुलनात्मक रूप से प्राथमिक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं में नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में बेरोजगार वर्ग समूह में 63.16 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी 60.00 प्रतिशत, गैर सरकारी कर्मचारी 48.57 प्रतिशत, व्यवसायिक वर्ग से 55.30 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग से

47.10 प्रतिशत, गृहणी उत्तरदाताओं में से 48.90 प्रतिशत एवं अन्य जीविकोपार्जन से संबंधित 64.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है, जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

- बलात्कार पीड़िता के विवाह हेतु कम वांछनीय होने के सन्दर्भ में उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग में 41.20 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 53.46 प्रतिशत एवं निम्न वर्ग में 55.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार के हमले के बाद बलात्कार पीड़िता विवाह हेतु कम वांछनीय हो जाती है। बलात्कार पीड़िता को विवाह हेतु कम वांछनीय समझने की अभिवृत्ति नकारात्मक प्राप्त हुई हैं।

बलात्कार पीड़िता के स्थानापन्न से संबंधित अभिवृत्ति मापन के निष्कर्षः

- बलात्कार के हमले के बाद पीड़िता के निवास स्थान के बदलने के सन्दर्भ में 18–25 आयु वर्ग में 95.90 प्रतिशत, 26–30 आयु वर्ग में 91.60 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग में 92.20 प्रतिशत, 36–40 आयु वर्ग में 92.00 प्रतिशत, 40 से अधिक आयु वर्ग में 87.80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।
- बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में अशिक्षित वर्ग में 87.50 प्रतिशत, शिक्षित वर्ग में 55.00 प्रतिशत, उच्च माध्यमिक वर्ग में 90.30 प्रतिशत, स्नातक वर्ग में 98.75 प्रतिशत, परास्नातक वर्ग में 93.10 प्रतिशत एवं अन्य डिग्री धारक वर्ग में 87.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को बलात्कार हमले के बाद अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।
- बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में बेरोजगार वर्ग में 84.20 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी वर्ग में 93.30 प्रतिशत, गैर सरकारी

कर्मचारी वर्ग में 96.20 प्रतिशत, व्यावसायिक वर्ग में 93.40 प्रतिशत, गृहणी वर्ग में 89.80 प्रतिशत, विद्यार्थी वर्ग में 96.10 प्रतिशत एवं अन्य निम्न जीविकोपार्जन वर्ग में 80.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि बलात्कार हमले के बाद बलात्कार पीड़िता को अपना निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। निवास स्थान बदलने के सन्दर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति प्राप्त हुई है।

- बलात्कार पीड़िता के निवास स्थान के बदले जाने के सन्दर्भ में जिसमें अति उच्च वर्ग में 62.50 प्रतिशत, उच्च वर्ग वर्ग में 86.30 प्रतिशत, मध्यम वर्ग में 94.60 प्रतिशत, निम्न वर्ग में 91.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि बलात्कार पीड़िता को निवास स्थान नहीं बदलना चाहिए। सभी आर्थिक वर्गों से जुड़े उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति सकारात्मक है।

परन्तु बलात्कार पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का लिंगवार परिणाम सामान्य परिणाम से भिन्न है। महिला एवं पुरुषों की अभिवृत्ति की तुलना करने पर पता चलता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अभिवृत्ति नकारात्मक है। पीड़िता पर चाहे दोषारोपण करने का व्यवहार हो, बलात्कार मिथकों की स्वीकृति हो, बलात्कार पीड़िता का कम वांछित समझना के सन्दर्भ में पुरुषों की अभिवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा अधिक नकारात्मक है।